(115)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 1087-दो/2007 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 5-5-2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 571/1992-93 अपील

1- रामश्रय 2- रामअनुग्रह 3-रामनिवास
पुत्रगण स्व. हसंराज विश्वकर्मा
3- श्रीमती इन्द्रपलुआ पत्नि हंसराज विश्वकर्मा
सभी निवासी ग्राम नोढ़िया
तहसील गोपदबनास जला सीधी ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- रामकृपाल पुत्र एतवारी बसोर
ग्राम नोढ़िया तहसील गोपदबनास जिला सीधी
2- मध्य प्रदेश शासन --अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री डी0एस0चौहान)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 15-09-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 571/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-5-07 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम नोढ़िया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 605, 1197/2 बंदोवस्त के वाद नवीन नंबर 361, 815 म0प्र0शासन के नाम दर्ज भूमि है, जिसे प्रकरण क्रमांक 45 अ-19/1973-74 में पारित आदेश दिनांकम 24-12-73 से सेवा भूमि घोषित किया गया। स्वर्गीय हसंराज.

विश्वकर्मा ने अपने जीवनकाल में नायव तहसीलदार गोपद बनास को आवेदन प्रस्तुत कर सर्वे कमांक 1157/1 रकबा 5.03 एकड़ सेवा भूमि के व्यवस्थापन की मांग की । नायव तहसीलदार गोपदबनास ने प्रकरण कमांक 4/अ-19/81-82 में पारित आदेश दिनांक 26-12-92 से प्रकरण का अंतिम निराकरण किया। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, गोपद बनास के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी, गोपद बनास ने प्रकरण कमांक 22/92-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-5-1993 से अपील निरस्त करते हुये एंव सेवा भूमि की पात्रता न होने से भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, अपील प्रचलन के दौरान हसंराज विश्वकर्मा की मृत्यु हो गई, जिसके कारण आवेदकगण पक्षकार बने। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर प्रकरण कमांक 571/1992-93 अपील में आदेश दिनांक 5-5-07 पारित किया एंव अपील निरस्त कर दी । इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार तहसील गोपद बनास ने प्रकरण कमांक 4 अ 19/1981-82 एंव प्रकरण कमांक 31 अ 19/83-94 में पारित सॅयुक्त आदेश दिनॉक 7-12-92 में इस प्रकार निर्णय लिया है -

" चौकीदार को वेतन 460/- चार सौ साठ रूपया भुगतान प्रति माह की जा रही है जो म0प्र0 शासन राजस्व विभाग कमांक 1774-2721/ सात-2-ए/1991 दिनांक 1 अप्रेल 1991 के तहत प्रश्नाधीन 1157/1 नया नंबर 815 रकबा 5.03 एकड सेवा भूमि पाने का अधिकारी नहीं है। साथ ही आवेदक कमांक 1 व 2 को व्यवस्थापन की पात्रता जब तक सेवा भूमि से प्रश्नाधीन भूमि को प्रथक कराने की कार्यवाही नहीं कराते, नहीं होगी। आवेदन पत्र निरस्त किये जाते हैं। "

अनुविभागीय अधिकारी, गोपद बनास ने प्रकरण कमांक 22/92-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-5-1993 में इस प्रकार निर्णय लिया है :-

" ग्राम का कोटवार होने के नाते ग्राम में सेवा भूमि उपलब्ध न होने के कारण उसके पूरा परिश्रमित 460/- दिया जाता है ऐसी स्थिति में उसको सेवा भूमि उपलब्ध पाने की पात्रता नहीं है।

कि नायव तहसीलदार तहसील गोपद बनास द्वारा प्रकरण कमांक 4, अ 19/1981-82 एंव प्रकरण कमांक 31 अ 19/83-94 में पारित सँयुक्त आदेश दिनॉक 7-12-92 तथा अनुविभागीय अधिकारी, गोपद बनास द्वारा प्रकरण कमांक 22/92-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-5-1993 में निकाले गये निष्कर्ष समरूप होने से अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा ने प्रकरण कमांक 571/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-5-07 में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भलीभॉति विवेचना कर निकाले गये निष्कर्षो को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समरूप है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग , रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 571/ 1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-5-07 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर